राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1151/2024

रामेश्वर दयाल बैरवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, राजस्व विभाग, डिवीजन कोटा (राज.)।
3. जिला कलेक्टर, राजस्व विभाग, जिला झालावाड़ (राज.)।
4. तहसीलदार, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़ (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.03.2024

आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश बागड़ी, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से तहसील बकानी, जिला झालावाड़ किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की हमेशा संतोषजनक सेवायें रही हैं। वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में दो पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी के हैं, जिसमें एक पद वर्तमान में रिक्त है, परंतु फिर भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का स्थानान्तरण 100 कि.मी. दूर कर दिया। अपीलार्थी

ने उक्त संबंध में अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। उनका यह भी कथन है कि माह अप्रेल, मई, 2024 में विभाग डीपीसी आयोजित करने जा रहा है और यदि अपीलार्थी का स्थानान्तरण होता है तो उसकी पदोन्नति पर गलत प्रभाव पडेगा, परंतु उक्त कारणों को नजरअंदाज करते हुये अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से तहसील बकानी, जिला झालावाड़ किया गया है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य